Shodhaamrit, Vol.-2; Issue-1 (Jan.-June) 2025 : Page No.-113-118

शोधामृत

(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक, सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-2.0
Vol.-2; issue-1 (Jan.-June) 2025
Page No- 113-118p

©2025 Shodhaamrit (Online)
www.shodhaamrit.gyanvividha.com

डॉ. ऋचा यादव
सहायक प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान विभाग (समाजशास्त्र), डॉ.सी.व्ही. रमन् विश्वविद्यालय, करगी रोड़ कोटा, बिलासपुर (छ.ग.).

रोशनी वासनिक
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा बिलासपुर (छ.ग.).

Corresponding Author :

डॉ. ऋचा यादव
सहायक प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान विभाग (समाजशास्त्र), डॉ.सी.व्ही. रमन् विश्वविद्यालय, करगी रोड़ कोटा, बिलासपुर (छ.ग.).

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा : कारण और परिणाम

सार : लिंग महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषता है और सेक्स जैविक रूप से निर्धारित चरित्रों को संदर्भित करता है। लोग महिला या पुरुष के रूप में पैदा होते हैं लेकिन लड़कियों और लड़कों के रूप में सीखते हैं और जिस समाज में वे रहते हैं वहाँ महिला और पुरुष बनते हैं। यह सीखा हुआ व्यवहार लिंग पहचान बनाता है और लिंग भूमिकाओं को निर्धारित करता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ किसी भी तरह का हानिकारक व्यवहार शामिल है, जो अक्सर परिवार के अंदर या बाहर के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। हिंसा एक सार्वभौमिक कृत्य है जो सभी मनुष्यों के जीवन, स्वास्थ्य और खुशी को खतरे में डालता है। इसमें धमकी, जबरदस्ती और संसाधनों से मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा आमतौर पर पुरुष साथी द्वारा की जाती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी है और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन और आर्थिक यातनाएं देती है । हर व्यक्ति को अपने घर में शांति से रहने का मूल अधिकार है, लेकिन हिंसा के कारण महिलाओं का मूल अधिकार अलग-थलग पड़ जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे व्यापक रूप है।

मुख्य शब्द : हिंसा , लिंग , अपराध , महिला , सामाजिक

प्रस्तावना : महिलाओं के खिलाफ हिंसा की व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा है । कोई भी नुकसान जो किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होता है। जिसका व्यक्ति के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य विकास और पहचान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यह लिंग शक्ति असमानताओं का परिणाम है जो पुरुषों और महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं के बीच भेद का फायदा उठाती है। हिंसा एक सार्वभौमिक

कार्य है जो सभी मनुष्यों के दैनिक जीवन में जीवन स्वास्थ्य और खुशी को खतरे में डालता है। ऐसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा आम तौर पर पुरुष साथियों द्वारा की जाती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी है जो मारती है और शारीरिक यौन और आर्थिक यातनाएं देती है। हर व्यक्ति को अपने घर में शांति से रहने का मूल अधिकार है लेकिन महिलाओं का मूल अधिकार हिंसा के कारण अलग-थलग पड़ जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा सार्वजनिक और निजी जगहों पर हो रही है। आम तौर पर ऐसे व्यक्ति जो अंतरंगता रक्त या कानून या अजनबी के माध्यम से संबंधित होते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को पत्नी की पिटाई, पत्नी की पिटाई, अंतरंग साथी दुर्व्यवहार के रूप में जाना जाता है। अधिकांश समाजों में पत्नी की पिटाई को बड़े पैमाने पर पुरुष का अधिकार माना जाता है। हमारे परिवेश में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने घर और बच्चों की देखभाल करें सम्मान दिखाएं और अपने पतियों का सम्मान करें। अगर पत्नी अपनी भूमिका निभाने में विफल रही है। उदाहरण के लिए, पति से खर्च मांगना या अपने बच्चों की जरूरत पर जोर देना, तो उसका जवाब हिंसा है। महिलाओं की हत्या करके बड़ी संख्या में होने वाली मौतों के लिए पार्टनर की हिंसा जिम्मेदार है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में भी, 40-70% महिला हत्या पीड़ितों को उनके पति या बॉयफ्रेंड ने मारा। समस्याओं का परिमाण विभिन्न रूपों में देखा जाता है - शारीरिक शोषण, अंतरंग संबंधों में यौन शोषण और बलात्कार, भ्रूण हत्या, बच्चों और किशोरों का यौन शोषण, जबरन गर्भपात, लिंग-चयनात्मक गर्भपात, महिला शिशु हत्या और भोजन और चिकित्सा देखभाल तक अलग-अलग पहुँच, महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करने वाली पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ। महिलाएँ गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी रूप में हिंसा का शिकार हो रही हैं ।उन्हें जन्म लेने से भी रोका जाता है। सांस्कृतिक रूप से, एक मानदंड है जो भाग्य को स्वीकार करता है। एक महिला के रूप में जन्म लेना आपके पिछले जन्म में आपके बुरे कर्मों का परिणाम है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

महिलाओं के खिलाफ हिंसा सबसे अधिक बार होने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। यह महिलाओं के जीवन के लिए खतरा है यह उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, और यह उनके बच्चों की भलाई के लिए भी खतरा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का पूरे समाज पर असर पड़ता है। अपराधी हर सामाजिक और आर्थिक परिवेश में पाए जा सकते हैं, और उनमें से ज्यादातर पुरुष होते हैं। पितृसत्ता द्वारा आकार लिए गए समाजों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है। इसलिए इस हिंसा के कारणों को न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि और विशेष रूप से संरचनात्मक स्तर पर भी पाया जाना चाहिए। आगे की हिंसा को रोकने के लिए इन कारणों को समाप्त करने की आवश्यकता है। जब तक स्त्री-द्वेषी संरचनाओं का समाधान नहीं किया जाता तब तक लैंगिक न्याय स्था भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध एक व्यापक और बेहद चिंताजनक मुद्दा बना हुआ है जो लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में देश की प्रगति को चुनौती देता है। कोलकाता में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की हालिया घटना महिला सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में मौजूदा अपर्याप्तताओं को उजागर करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि विधायी उपायों और बढ़ती जागरूकता के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं चिंताजनक रूप से उच्च बनी हुई हैं। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से लेकर दहेज से संबंधित अपराधों और मानव तस्करी तक भारत में महिलाओं को अपनी सुरक्षा सम्मान और

कल्याण के लिए कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है।

हिंसा के प्रकट होने के विभिन्न तरीके

यौन शारीरिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक और वित्तीय हिंसा। यौन हिंसा लिंग आधारित हिंसा का एक रूप है और यह भेदभाव की अभिव्यक्ति है। महिलाओं के साथ न केवल उनके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। उन्हें अक्सर नस्लवाद समलैंगिकता या सक्षमता जैसे अन्य प्रकार के भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है जो एक-दूसरे को प्रभावित और मजबूत करते हैं। घरेलू या पारिवारिक हिंसा जिसे 'अंतरंग साथी हिंसा के रूप में भी जाना जाता है करीबी सामाजिक संबंधों के भीतर लोगों द्वारा की गई किसी भी हिंसा को संदर्भित करती है। यह मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उल्लंघन है। इस हिंसा का उद्देश्य नियंत्रण और शक्ति का प्रयोग करना है। हालाँकि घरेलू शब्द को घर या परिवार के संदर्भ में माना जा सकता है लेकिन हिंसा अक्सर व्यापक परिवार के भीतर या किसी पूर्व साथी द्वारा की जाती है। इस प्रकार की हिंसा को घटना का स्थान नहीं बल्कि हिंसा करने वाला व्यक्ति परिभाषित करता है इसलिए मेडिका मोंडियल घरेलू हिंसा के स्थान पर अंतरंग साथी हिंसा या निकट सामाजिक वातावरण में हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग करना पसंद करता है।

मनोवैज्ञानिक हिंसा से तात्पर्य ऐसी कार्रवाइयों से है जो प्रभावित लोगों को भावनात्मक और मानसिक रूप से चोट पहुँचाती हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा खुद को नजरों इशारों या चिल्लाने जबरदस्ती और धमकियों के जरिए डराने-धमकाने के रूप में प्रकट करती है - जैसे कि किसी महिला से बच्चों को दूर ले जाने की धमकी या शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल करने की धमकी। अपमान, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणियाँ और सार्वजनिक उपहास भी मनोवैज्ञानिक हिंसा के रूप हैं। भावनात्मक हिंसा अक्सर नियंत्रित या हावी होने वाले व्यवहार, अत्यधिक ईर्ष्या या प्रभावित लोगों के अलगाव के साथ होती है। मनोवैज्ञानिक हिंसा साइबर हिंसा के रूप में ऑनलाइन भी हो सकती है। यौन हिंसा का तात्पर्य दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यौन क्रियाकलापों से है। यह यौन आत्मनिर्णय के कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार के विरुद्ध अपराध है। यौन हिंसा लिंग आधारित हिंसा का एक रूप है। इसमें मौखिक उत्पीड़न से लेकर अवांछित स्पर्श और बलात्कार और महिला जननांग काटने तक शामिल है। यौन हिंसा हमेशा शक्ति का प्रयोग करने किसी को नियंत्रित करने या दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार करने का एक तरीका है। यह हिंसक यौन क्रियाओं का रूप ले लेती है जो सहमति से नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में हिंसा पर जोर दिया जाता है और यह यौन हिंसा हैः इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यौन संतुष्टि नहीं है। यौन हिंसा मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। संकट और युद्ध की स्थितियों में इसे आमतौर पर शक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और शांति के समय में भी इसका इस्तेमाल जारी रहता है। यह पितृसत्तात्मक संरचनाओं की अभिव्यक्ति है और दुनिया भर में सभी संस्कृतियों धर्मों और समाजों में व्यापक है। यौन हिंसा सभी सामाजिक और आर्थिक परिवेशों में पाई जा सकती है।

कारण और परिणाम

- पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडः महिलाओं को अधीनस्थ बनाने वाले पितृसत्तात्मक मूल्य हिंसा की संस्कृति में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए खाप पंचायतें अक्सर कठोर लैंगिक मानदंड लागू करती हैं और ऐसी प्रथाओं का समर्थन करती हैं जो महिलाओं की स्वायत्तता को कमजोर करती हैं।
- कार्यस्थल पर उत्पीड़नः कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अधिनियमित होने के बावजूद भारत विभिन्न कार्य वातावरणों में महिलाओं के बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न और शोषण से जूझ रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के औसतन 400 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। मलयालम फिल्म उद्योग में कार्यस्थल के माहौल पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की हालिया रिपोर्ट ने उद्योग में यौन उत्पीड़न की व्यापक संस्कृति का खुलासा किया है।

- सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की कमीः असुरक्षित सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षित और पर्याप्त रूप से रोशनी वाली सड़कों की कमी और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उत्पीड़न और हमले का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, कुख्यात 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना शहर के खराब रोशनी वाले इलाके में हुई थी जो अपर्याप्त सार्वजनिक सुरक्षा उपायों से जुड़े खतरों को उजागर करती है।
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और संसाधनः कई क्षेत्रों में अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने और जाँच करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे जैसे कार्यात्मक पुलिस स्टेशन फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ और आपातकालीन सेवाएँ, का अभाव है।
- कमजोर कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणालीः कानूनी प्रणाली में अक्षमताएँ प्रभावी न्याय में बाधा डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए निर्भया मामले की सुनवाई में देरी और अभियुक्तों के प्रति शुरुआती नरमी कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका के भीतर प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाती है। इसी तरह, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामलों में कम सजा दर कानून प्रवर्तन में कमियों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-2022 की अवधि के दौरान बलात्कार के लिए सजा दर सिर्फ 27-28% थी।
- प्रणालीगत मुद्देः कानूनी और कानून प्रवर्तन प्रणालियों में भ्रष्टाचार महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के प्रयासों में बाधा डाल सकता है क्योंकि रिश्वतखोरी और दुराचार के कारण मामलों को गलत तरीके से निपटाया जा सकता है या उन्हें छोड़ दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए कई बलात्कार के मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छुक होती है या देरी करती है जैसा कि हाल ही में बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोप लगाया गया है।
- सामाजिक कलंक और पीड़ित को दोषी ठहरानाः पीड़ित को दोषी ठहराने का रवैया महिलाओं को अपराधों की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता है।महिलाओं को अक्सर उत्पीड़न या बलात्कार के मामलों में अपने समुदायों या यहाँ तक कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कलंक और दोष का सामना करना पड़ता है। बलात्कार की घटनाओं और पीड़ितों पर राजनेताओं द्वारा गैर-जिम्मेदार और सस्ती टिप्पणियों के उदाहरण भी हैं जो अपराध की गंभीरता को कम करके आंकते हैं या पीड़ितों पर अनुचित दोष लगाते हैं।
- लैंगिक असमानता और सांस्कृतिक दृष्टिकोणः शिक्षा रोजगार के अवसरों निर्णय लेने की शक्ति और पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं में असमानताएं महिलाओं की भेद्यता में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ समुदायों में बाल विवाह और महिलाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध जैसी प्रथाएँ आम हैं जो गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। इसके अलावा दहेज प्रथा दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के मामलों को भी जन्म देती है।
- आर्थिक निर्भरताः जो महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुष परिवार के सदस्यों पर निर्भर हैं उन्हें अपमानजनक स्थितियों से बचना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए कम आय वाले परिवारों में कई महिलाएँ आर्थिक रूप से अपने पतियों पर निर्भर हैं जो उन्हें अपमानजनक रिश्तों में फँसाए रख सकती हैं।
- घरेलू हिंसाः घरेलू हिंसा अक्सर अन्य गंभीर अपराधों को जन्म देती है। घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाएँ यौन उत्पीड़न या हत्या का शिकार भी हो सकती हैं।

- तकनीकी और साइबर खतरेः डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय के साथ महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के नए रूपों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन धमकियाँ या साइबरबुलिंग पीछा करना और अंतरंग तस्वीरों को बिना सहमति के साझा करना जैसे मुद्दे आम होते जा रहे हैं जिसके लिए अद्यतन कानूनी और तकनीकी समाधानों की आवश्यकता है। मादक द्रव्यों का सेवनः मादक द्रव्यों का सेवन महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। हिंसा के कई मामलों में अपराधी शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में होते हैं।
- झूठे आरोपः झूठे बलात्कार के मामले वास्तविक पीड़ितों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाते हैं। जब लोग बार-बार झूठे आरोपों के बारे में सुनते हैं तो वे वास्तविक मामलों को भूल जाते हैं। यह लगातार समस्या भारत के जटिल सामाजिक ताने-बाने में गहराई से निहित है जहाँ पितृसत्तात्मक मानदंड आर्थिक असमानताएँ और सांस्कृतिक प्रथाएँ अक्सर लैंगिक आधारित हिंसा को बढ़ावा देती हैं।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा हमेशा उनके बच्चों के खिलाफ भी हिंसा होती है, भले ही उन पर सीधे हमला न किया गया हो। उदाहरण के लिए, हिंसा को सिर्फ देखने से नींद में गड़बड़ी, विकास संबंधी विकार, आक्रामकता या चिंता हो सकती है। इसके अलावा, एक और बहुत गंभीर पहलू जिस पर विचार करने की जरूरत है, वह है हिंसक व्यवहार और आघात दोनों का अगली पीढ़ियों तक संचरण। जो बच्चे हिंसा और उसके परिणामों का अनुभव करते हैं या देखते हैं, वे संघर्षों को हल करने के तरीके के रूप में इस हिंसा को स्वीकार करना सीखते हैं। जिन महिलाओं ने यौन हिंसा का अनुभव किया है, वे अवचेतन रूप से अपने बच्चों और नाती-पोतों को पीढ़ी दर पीढ़ी आघात के रूप में दर्दनाक अनुभव दे सकती हैं, जो चिंता, तनाव या सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट होता है। इसका परिवारों के भीतर बंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष : महिला जब अपराध करती है तो उसे अपराध का परिणाम भी ज्ञात नहीं होता कि अनजाने में किए गए इस अपराध की सजा उन्हें जीवनभर भुगतनी पड़ेगी। क्रोध में आकर वह अपराध तो कर बैठती हैं, परंतु बाद में स्वयं उन्हें अपने अपराधिक कृत्यों के प्रति पछतावा होता है। महिलाओं के इन्हीं अपराधिक प्रवृतियों को समाज नहीं स्वीकारता। फलस्वरूप उन्हें अपने किये गये अपराध की सजा भुगतनी पड़ती है, लेकिन यह सजा उनके अपराध के ऊपर निर्भर करता है कि वह कैसा अपराध करती है। महिलाओं द्वारा किय जाने वाला अपराध - हत्या, चोरी, डकैती, पुत्र वधु हत्या, भ्रूण हत्या, वेश्यावृतियों , धोखाधड़ी, अविवाहित मातृत्व, पर पुरुष गमन, विष प्रयोग द्वारा हत्या आदि। किसी एक संस्था के लिए अकेले हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है। इस कारण से, कन्वेंशन राज्यों के दलों से सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय संसदों और अधिकारियों को शामिल करते हुए व्यापक और समन्वित नीतियों को लागू करने का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य सरकार के सभी स्तरों पर और सभी संबंधित एजेंसियों और संस्थानों द्वारा घरेलू हिंसा सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए नीतियों को लागू करना है। अपराधी महिलाओं में पुनः आत्मविश्वास पैदा करना होगा, उन्हें यह विश्वास दिलाकर कि समाज में आज भी उनका महत्व कम नहीं हुआ। उनके पुनर्वास की नवीन योजना बनानी पड़ेगी। उनमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति पुनः आस्था व विश्वास उत्पन्न करने होंगे। निष्कर्षतः हमें महिला को अपराध करने से बचाकर और अपराधी महिलाओं का समुचित पुनर्वास कर समाज को बचाना होगा।

संदर्भ

1. भारद्वाज सुनीता "अपराधी महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन "स्नातकोत्तर अन्वेष

प्रबंध प.म.वि. गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय, इन्दौर 1989
2. कृष्णा साही "अपराधी महिलाएं" समाज कल्याण पत्रिका, भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय से प्रकाशित जून 1989.
3. एम.ए. अंसारी "नारी चेतना और अपराध" जयपुर, पंचशील प्रकाशन 1989.
4. महाजन धर्मवीर तथा महाजन कमलेश, समाज एवं अपराध, मेरठ: शिक्षा साहित्य प्रकाशन 1992-93
5. सिंह, सीमा उत्तरप्रदेश में महिला अपराध - एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, स्नातकोत्तर अन्वेष प्रबंध, आगरा विश्वविद्यालय 1986.
6. सुलेन्जर, टी.ई. फिमेल क्रिमिनलिटी इन ओमहा, 1936
7. शर्मा सुनीता "अपराधी महिलाएं और समाज" नई दिल्ली राधा पब्लिकेशन्स, 2001
8. डॉ0. सिंह निशांत "महिलाएं और अपराध" साहित्य प्रकाशन, 2012
9. नंदा वर्तिका "तिनका-तिनका तिहाड़ एक संवेदनशील पुस्तक" विमला मेहरा, संपादन 2014.
10. डॉ0. बघेल डी.एस. 'अपराध शास्त्र' विवेक प्रकाशन, दिल्ली 2016
11. आहूजा राम, "भारत में महिला मर्दानगी", मेरठः मीनाक्षी प्रकाशन 1969
12. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/addressing-women-s-safety-in-india
13. https://www.coe.int/en/web/gender-matters/council-of-europe-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence
14. https://pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=35773
15. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/addressing-women-s-safety-in-india